क्रम संख्या–183 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 348/XXXVI(3)/2016/83(1)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड विनियोग (2016–17 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 22 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2016-17 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2016
(अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2016)

31 मार्च, 2017 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम

1– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2016–2017 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2016 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2016–17 के लिये रु015078730000 का दिया जाना

2– ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु015078730000 (रुपया एक हजार पॉच सौ सात करोड़ सत्तासी लाख तीस हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
01–	विधान सभा	राजस्व	8000	0	8000
		पूँजी	50000	0	50000
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	33310	33310
		पूँजी	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	77057	0	77057
		पूँजी	10000	0	10000
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	2032334	0	2032334
		पूँजी	10000	0	10000
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	22195	0	22195
		पूँजी	3060000	0	3060000
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	55500	55500
		पूँजी	0	0	0
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	139554	0	139554
		पूँजी	40000	0	40000
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	931932	0	931932
		पूँजी	600031	0	600031
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	117833	0	117833
		पूँजी	400000	0	400000
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	780100	0	780100
		पूँजी	1055321	0	1055321
14–	सूचना	राजस्व	300000	0	300000
		पूँजी	0	0	0
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	2018777	0	2018777
		पूँजी	0	0	0
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	57093	0	57093
		पूँजी	0	0	0
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	661700	0	661700
		पूँजी	100000	0	100000
18–	सहकारिता	राजस्व	20000	0	20000
		पूँजी	0	0	0

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	51781	0	51781
		पूँजी	0	0	0
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	28009	0	28009
21–	ऊर्जा	राजस्व	20000	0	20000
		पूँजी	0	0	0
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	159600	1000	160600
		पूँजी	650000	0	650000
23–	उद्योग	राजस्व	210960	0	210960
		पूँजी	267500	0	267500
24–	परिवहन	राजस्व	11000	0	11000
		पूँजी	100000	0	100000
25–	खाद्य	राजस्व	300000	0	300000
		पूँजी	360	0	360
26–	पर्यटन	राजस्व	1300	0	1300
		पूँजी	21000	0	21000
27–	वन	राजस्व	20000	0	20000
		पूँजी	100000	0	100000
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	186975	0	186975
		पूँजी	72850	0	72850
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	65400	0	65400
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	124293	0	124293
		पूँजी	20000	0	20000
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	35965	0	35965
		पूँजी	50000	0	50000
	योग–	राजस्व	8353849	89810	8443659
		पूँजी	6635071	0	6635071
	महायोग		14988920	89810	15078730

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 सपठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य विधान सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रस्तावित विधेयक यह उपबन्धित करता है कि वित्तीय वर्ष 2016–2017 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदान मांगों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से किया जा सके।

डॉ इन्दिरा हृदयेश
वित्तमंत्री